जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक- 02.05.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 108/2025 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5)/131 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2025 को अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र आनन्दपाल 2.हरदीप पुत्र आनन्दपाल 3.दिव्यांशू पुत्र हरदीप समस्त निवासीगण ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर यशपाल सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी उपरोक्त के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया तथा यशपाल उपरोक्त को परिजनों द्वारा उपचार हेतु विवेक हॉस्पिटल नूरपुर में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 28.04.2025 को यशपाल उपरोक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

इस संबंध में दिनांक 28.04.2025 को वादिनी श्रीमति अंजू देवी पत्नी यशपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0स0 108/25 धारा 108/2025 धारा 103(1)/115(2)/352/3(5)/131/351(3) बीएनएस बनाम राहुल आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया है।

नोट- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा नामित अभियुक्त हरदीप पुत्र आनन्दपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को पूर्व मे ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 02.05.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र आनन्दपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक आलाकत्ल खलवा (डन्डा) सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र आनन्दपाल निवासी ग्राम सुमालखेडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक आलाकत्ल खलवा (डन्डा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैंसला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर **दिनांक- 02.05.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2025 को वादिया श्रीमती राजबाला पत्नी राजपाल निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अजय, 2.अंकुश, 3.सचिन पुत्रगण पुनित व 4.पुनित पुत्र डिग्गी समस्त निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पुत्र राहुल उर्फ बिट्टू, देवर बोबी व रिश्तेदार रूपेश के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से फायर किया गया। इस संबंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 02.05.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अंकुश पुत्र पुनीत 2.सचिन पुत्र पुनीत निवासीगण मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक लोहे की साधारण रॉड तथा एक लोहे की रॉड जिस पर चैन फ्राविल लगा हुआ है, सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अंकुश पुत्र पुनीत निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2. सचिन पुत्र पुनीत निवासी मौ0 जोशियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त लोहे की 02 रॉड (एक साधारण रॉड तथा एक रॉड चैन फ्राविल लगी हुई)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मीर हसन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 31 अमित थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 02.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्ता को 50 कि0ग्रा0 गौवंशीय मांस मय अवशेष व एक तराजू मय बाट तथा पशु वध करने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरणः-

आज दिनांक 02.05.2025 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता महजबी पत्नी मौ0 युसुफ निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 50 कि0ग्रा0 गौवंशीय मांस, एक तराजू मय लोहे के बाट, एक लकडी का गुटका, एक चापड व एक छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 247/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता ने बताया कि उसके साथीगण माजिद उर्फ भूरा व उसका भाई साजिद पुत्रगण नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर अपने क्षेत्र में घूमंतु गौवशीय पशु को काटते है व उक्त मांस को बेचने के लिये अभियुक्ता को लाकर देते है, बीती रात्रि में भी वे ही उक्त गौवंशीय मांस को बेचने के लिये अभियुक्ता को देकर गये है।

अभियुक्तगण माजिद उर्फ भूरा व साजिद पुत्रगण नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

महजबी पत्नी मौ0 युसुफ निवासी ग्राम खेडकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.माजिद उर्फ भूरा पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.साजिद पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

50 कि0ग्रा0 गौवंशीय मांस, एक तराजू मय लोहे के बाट, एक लकडी का गुटका, एक चापड व एक छुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 भूषण कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
2.का0 865 धन सिंह थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 668 राज कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
4.का0 2048 इंसाद थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
5.का0 2035 असलम थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
6.म0का0 627 दिशा सैनी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 02.05.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5)/238/61(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.04.2025 को समय करीब 18:30 बजे थाना प्रभारी, किरतपुर को ग्राम रामपुर आशा के जंगल में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक व्यक्ति का शव मिला जिसे पीठ और हाथ पर गोली लगी थी। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किये गये। मौके पर मौजूद सूचनाकर्ता ने बताया कि लगभग 5 बजे उसने 3 व्यक्तियों को एक बाइक पर आते देखा था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर उसने खेत मालिक को सूचना दी जो लगभग आधे घंटे में मौके पर पहुँचे और दो लड़कों को एक मोटरसाइकिल से भागते देखा। मृतक की शिनाख्त फारुख पुत्र हसीनुद्दीन निवासी मौ0 ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के रुप में हुई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।

घटना के सम्बंध में मृतक के बडे भाई / वादी श्री नईम ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि 1.मेहरबान पुत्र अहसान व 2.उमर पुत्र जुल्फुकार निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर एक राय होकर वादी के भाई को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गये थे, जिन्होने वादी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मेहरबान पुत्र अहसान, उमर पुत्र जुलफुकार निवासीगण मौ0 अफगानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व अमरीन पत्नी फारूख निवासी ढोलकियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 238/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अभियुक्तगण 1. आकाश कुमार शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम इस्लामपुर सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2. वजाहत रजा पुत्र अहमद रजा निवासी ग्राम मेमन सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

कार्यवाही –

आज दिनांक 02.05.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण आकाश कुमार व वजाहत उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आकाश कुमार शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम इस्लामपुर सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. वजाहत रजा पुत्र अहमद रजा निवासी ग्राम मेमन सादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1.अभियुक्त आकाश शर्मा उपरोक्त का मोबाइल फोन टैकनो पोवा कम्पनी (रंग नीला)।

2. अभियुक्त वजाहत रजा उपरोक्त का मोबाइल फोन एप्पल कम्पनी 14 प्रो (रंग गोल्डन)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी श्री विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.व0उ0नि0 योगेन्द्र शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3.मुख्य आरक्षी लालू सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

4.मुख्य आरक्षी अरूण थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

5.आरक्षी प्रवेन्द्र तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।